भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2137

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनियोजित शहरीकरण

†2137. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में अनुमोदित मास्टर प्लान के बिना विकसित हो रहे शहरों की सांविधिक और जनगणना संख्या संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सांविधिक मास्टर प्लान के बिना बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के विकसित होने से जुड़े कारणों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नियोजित शहर के बाहर बसता है और जो प्रायः नियोजित सेवाओं और विकास विनियमों के अभाव में होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शहरी अवसंरचना, भूमि उपयोग और सेवा वितरण पर इस प्रकार के अनियोजित विकास के प्रभावों की जांच की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों को शहरीकरण वाले क्षेत्रों को भी शामिल करने के लिए योजना प्राधिकरणों का गठन किए जाने हेतु कोई सलाह जारी की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, मास्टर प्लान/विकास योजनाएं तैयार करने और योजना प्राधिकरणों के गठन सहित शहरी नियोजन राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है और ये संबंधित राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन/नगरपालिका कानूनों द्वारा शासित होते हैं। भौगोलिक और स्थानिक परिस्थितियों के आधार पर शहरीकरण की चुनौतियां एक राज्य से दूसरे राज्य और एक शहर से दूसरे शहर के लिए अलग-अलग होती हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने विनियमित और नियोजित विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) जारी किए हैं।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। अमृत के अंतर्गत 500 अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने (>1 लाख आबादी) की उप-योजना को अमृत के अंतर्गत जियो-डाटा बेस निर्माण और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में, 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 408.94 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ 461 अमृत शहर शामिल हैं। 404 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिनमें से 288 शहरों के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया है। मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्रस्ताव और कार्यान्वयन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, 50,000 - 99,999 की आबादी वाले श्रेणी-II शहरों को शामिल करते हुए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक उप-योजना शामिल गई है। 91 शहरों के लिए जियो डेटाबेस और 56 शहरों के लिए मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, इसके अतिरिक्त अब तक अन्य 63 शहरों ने मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया है।

*****